हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय,हरियाणा
सामान्य प्रशासन विभाग

सरकारी आदेश

क्रमांक 22/70/2016–1जीएस III   दिनांक : 11.8.2016

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रशासकीय सचिव।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष।
3. रोहतक, गुड़गांव, हिसार एवं अम्बाला मण्डलों के आयुक्त।
4. सभी बोर्डो/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी मुख्य प्रशासक तथा प्रबन्धक निदेशक।
5. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय,चण्डीगढ़ ।
6. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।
7. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।

विषयः– **हरियाणा राज्य के चण्डीगढ़/पंचकूला में स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी तथा चण्डीगढ़/पंचकूला तथा मोहाली में निवास करने वाले हरियाणा राज्य के सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना व अपने आश्रितों का रिहायशी/जाति प्रमाण पत्र बनाने से सम्बन्धित प्रकिया को सुचारू बनाने बारे।**

....

महोदय/महोदया,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/28/2003–3जी0एस0III, दिनांक 30.01.2004, समसंख्यक दिनांक 17.06.2004 तथा हिदायतें क्रमांक 22/132/2013–1जी0एस0III, दिनांक 21.03.2014 की ओर दिलाऊं जिनमें विभागाध्यक्षों को जाति प्रमाण पत्र तथा रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने बारे अधिकृत किया गया था। सेवानिवृत कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त हो रहे थे कि हिदायतें दिनांक 30.01.2004 के पैरा 3 में यह भी उल्लेख किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया रिहायशी प्रमाण पत्र तब तक वैद्य रहेगा जब तक प्रमाण पत्र धारक अपना पता हरियाणा राज्य में बनाये रखेगा।

2. यदि प्रमाण पत्र धारक हरियाणा राज्य से बाहर के निवास स्थान का पता देगा तो कथित प्रमाण पत्र अवैद्य हो जायेगा, दूसरे शब्दों में अगर कोई कर्मचारी/अधिकारी हरियाणा राज्य से बाहर अपना निवास स्थान बनाता है तो वह हरियाणा राज्य का निवासी नहीं माना जायेगा जबकि हिदायतें क्रमांक 62/17/95–6 जी.एस.1, दिनांक 03.10.1996 के द्वारा हरियाणा राज्य से सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों को भी राज्य का बोनाफाईड रैजिडेंट माना गया है चाहे वे सेवानिवृति उपरान्त अपना निवास स्थान राज्य से बाहर रखें।

3. अतः हरियाणा राज्य के चण्डीगढ़/पंचकूला में स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी तथा चण्डीगढ़/पंचकूला तथा मोहाली में निवास करने वाले हरियाणा राज्य के सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों को अपना व अपने आश्रितों का रिहायशी/जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत नीति की समीक्षा की गई है।

4. अब यह निर्णय लिया गया है कि इन हिदायतों में सामंजस्य बनाने हेतू पूर्व में जारी हिदायतें कमांक 22/28/2003–3जी0एस0III, दिनांक 30.01.2004, समसंख्यक दिनांक 17.06.2004 तथा हिदायतें कमांक 22/132/2013–1जी0एस0III, दिनांक 21.03.2014 के संदर्भ में हरियाणा राज्य के जो कर्मचारी/अधिकारी चण्डीगढ़/पंचकूला में स्थित कार्यालयों में कार्यरत हैं तथा चण्डीगढ़/पंचकूला तथा मोहाली में निवास करते हैं, वे सभी सेवानिवृत होने उपरान्त अपना व अपने आश्रितों का रिहायशी/जाति प्रमाण पत्र अपने पैतृक विभाग जहां से वे सेवानिवृत हुये हैं, बनवा सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने अन्य राज्यों से सेवानिवृति उपरान्त अपना व अपने आश्रितों का रिहायशी प्रमाण पत्र न बनवाया हो तथा अन्य राज्यों से रिहायशी प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कोई भी लाभ न लिया हो।

उपरोक्त हिदायतों की दृढता से पालना की जाये।

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृ0 क्रमांक 22/70/2016–1जीएस III **दिनांक : 11.8.2016**

इसकी एक–एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, चण्डीगढ़।
2. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
3. प्रधानाचार्य, हरियाणा लोक प्रशिक्षण संस्थान, सैक्टर–16, पंचकूला।

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

<u>आन्तरिक वितरण</u>

उपरोक्त निर्देशों को राज्य सरकार की वैबसाइट पर डालने के लिये एनआईसी प्रभारी उत्तरदायी होगा।